राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2214 / 2004 / बांसवाडा

1. खातू पिता जूमना जी भील
2. रातू पिता जूमना जी भील
3. लवजी पिता जूमना जी भील

सभी निवासीगण ढनकू तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा

....अपीलांट्स

बनाम

1. पूनिया पिता माला जी भील
2. प्रभू पिता पुनिया जी भील
3. शंकर पिता पुनिया जी भील
4. लालू पिता पुनिया जी भील
5. फूल जी पिता रतना जी भील
6. सन्तू पिता फूल जी भील
7. लक्ष्मण पिता फूल जी भील
8. माला पिता फूल जी भील
9. कमजी पिता रतना जी भील
10. अमृत पिता कमजी भील
11. हूरा पिता कमजी भील
12. कल्लू पिता फूल जी भील
13. नानू पिता कालू जी भील
14. लालूराम पिता कालू जी भील
15. श्रीमती झूमली पत्नी पूनिया भील
16. श्रीमती कान्ता पत्नी अमृत भील
17. श्रीमती शांति पत्नी हूरा भील
18. श्रीमती काउडी पत्नी प्रभू भील
19. हीरा पिता लखजी भील

सभी निवासीगण ढनकू तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री पी.एस.दशोरा, अभिभाषक अपीलांट
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक : 08.04.2019**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील

संख्या 88/2003 में दिनांक 17–4–2004 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट्स ने धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध ग्राम ढनूक तहसील बागीदौरा में अवस्थित भूमि खसरा नंबर 581 रकबा 18 बिस्वा के संबंध में स्थाई व्यादेश का अनुतोष चाहते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया था। वाद पत्र में वादीगण ने उक्त आराजी को स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि बताया था। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब दावा पेश कर इन आराजीयात पर स्वयं का 50 से भी अधिक वर्ष पूर्व कब्जा काश्त होना बताते हुए वादीगण का वाद मियाद बाहर होना अभिकथित किया था तथा धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाना भी उल्लेखित किया था। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के विरूद्ध स्थाई व्यादेश का अनुतोष मांगा था। दोनों पक्षों को साक्ष्य सबूत का अवसर देने के बाद विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने बाबत दिनांक 20–12–2001 को निर्णय पारित किया था। इससे खुद को अंसतुष्ट मानते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी जिसे दिनांक 17–4–2004 के निर्णय के द्वारा स्वीकार किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को उस भूमि को छोडकर, जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है, शेष भूमि का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील वादीगण/अपीलांट्स ने पेश की है।

3. यह उल्लेखनीय है कि वादीगण का वाद डिक्री करने व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध केवल एक ही अपील प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां पेश की थी। इसके अलावा राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किए हैं। इसलिए इस अपील में निम्न दो विधिक बिन्दु निहित हैं–

(1) क्या वाद डिक्री करने व काउन्टर क्लेम खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एक ही अपील में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में पारित किया गया निर्णय व डिक्री अवैधानिक है ?

(2) क्या प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कृषि भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने ने विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वैधानिक त्रुटि की है ?

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता वादीगण/अपीलांट्स की दलील है कि राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा कई मर्तबा यह निर्णय पारित किये जा चुके हैं कि कृषि भूमियों पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। इसके बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त करके अवैधानिकता की है। उनकी यह भी दलील है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध दो पृथक पृथक अपीलें पेश होनी चाहिए थी, एक ही अपील को पोषणीय नहीं माना गया है। इसलिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स की अपील को स्वीकार करके अवैधानिकता की है। अतः यह अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाए।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत बताया है। उनका कहना है कि जब एक ही निर्णय के द्वारा काउन्टर क्लेम व दावा निर्णित हुए हैं, तो दो अपीलें प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। चूंकि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स 50 से भी अधिक वर्षो से वादग्रस्त आराजी पर काबिज हैं, इसलिए वादीगण के खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गए हैं तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य पाये जाने पर ही उनके पक्ष में निर्णय दिया गया है। अतः अपील खारिज की जाए।

7. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. इस बारे में विवाद नहीं है कि वादीगण का वाद डिक्री करने एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का काउन्टर क्लेम खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष केवल एक अपील पेश की थी। आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधानों के अवलोकन से यह इंगित होता है कि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। ए. आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

"Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree…… Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1645 'लोनान कुट्टी बनाम थोमन' के मामले में भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि दो वादों के कन्सोलिडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित होंगे। इसके अलावा आर.एस.ए.नबंर 14/2015 निर्णय तिथि दिनांक 28–1–15 'गिरिजा वगैरह बनाम राजन वगैरह' के प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी वाद में काउन्टर क्लेम पेश होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है, तब ऐसे मामले में धारा 11 सी.पी.सी. में वर्णित पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू हो जायेगा। इस संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था निम्नानुसार है–

"From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged.....Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

9. उक्त तीनों मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। इस मामले में भी प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय के वाद डिक्री करने एवं काउन्टर क्लेम खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील पेश की गई थी, जो पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित थी। यदि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं तो दो परस्पर विरोधाभासी निर्णय व डिक्रियां प्रभाव में रहेगी, जिससे पेचिदगियां उत्पन्न होंगी तथा पक्षकारान के हितों में टकराव बरकरार रहेगा। विद्वान

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील तय करते समय इस तथ्यात्मक व विधिक पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को दो पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत करके ही विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को चुनौती देनी चाहिए थी तथा उनके द्वारा ऐसा नहीं करने से प्रथम अपील पोषणीय ही नहीं थी। इसलिए विधि का प्रथम प्रश्न वादीगण/अपीलांट्स के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा 2018 आर.आर.डी. 715 'सरजूराव के का. मु. बनाम अमृतलाल वगैरह' के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में 'एडवर्स पजेशन' के आधार पर खातेदारी क्लेम नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में उनका काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए पारित किया गया निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है। यह विधिक बिन्दु भी वादीगण/अपीलांट्स के पक्ष में निर्णित किया जाता है। यह अपील काबिले स्वीकार है।

11. उक्त विवेचनानुसार यह अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–4–2004 को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाता है।

सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष